न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—135/2016(2016/00162) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कालु पिता देवा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—केशु पिता सवाईराम गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—भुरा पिता सवाईराम गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लक्ष्मण पिता भैरा जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—देवा पिता उदा जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—चुना पिता भैरा जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—किशन पिता प्रताप जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—नाथी पुत्री चैना जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—नैनी पत्नि चैना जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—रामा पिता सोला जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—नारायण पिता कालु जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—गोपीलाल पिता कालु जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—छगनलाल पिता कालु जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—केशी पत्नि कालु जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—बरदीचन्द पिता किशनलाल जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—खेमराज पिता गोटु गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राइमल पिता नन्दा फोथ के बजाय
2(1)—मागीलाल पिता राईमल गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2(2)—सोहनी पुत्री राईमल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2(3)—लेहरी पुत्री राईमल गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—भोजा पिता किशना गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मेमा पत्नि नाथु गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सोनी पुत्री घासी गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—छगन पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—भागु पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—प्रभु पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—कंवरलाल पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—मथरा पुत्री हीरा गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—झमकु बेवा हीरा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—मंदरूप पिता नारू गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—केशु पिता उदा गुर्जर निवासी मासिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—मोहनी बेवा उदा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन— अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. सुनील कुमार जैन अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1, 3 लगायत 14

निर्णय

दिनांक 07.03.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंगपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आ.स. 1612/1159 आ.स. 1624/1073 आ.स. 1604/1135 तथा प्रार्थी सख्या 2 की आ.स. 1609/1151 आ.स. 1611/1151 आ.स. 1615/1152 आ.स. 1616/1166 एवं प्रार्थी 3 की आ.स. 1607/1151 आ.स. 1613/1159 आ.स. 1619/1073 आ.स. 1622/1073 और इसी तरह प्रार्थी संख्या 4 से लेकर 15 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1102 आ.स. 1119 आ.स. 1120 भूमिया प्रार्थीगण की अन्य कृषि आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र कदमी रास्ता ग्राम मासिंहपुरा की आबादी भूमि से होकर करीब 70–80 वर्षो से उनके पूर्वजो के समय से ही विपक्षीगण की आ.स. 1070 की दक्षिणी पाली पर होकर आ.स. 1173 व 1164 की मध्य पाली पर होता हुआ आ.स. 1161 की दक्षिणी पाली पर होता हुआ प्रार्थीगण की कृषि आराजियात तक जाता है जो वर्तमान में 15 फीट चौड़ा हैं तथा रास्ते में दोनो तरफ थोहर लगें हुए हैं। प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग करते हुए अपनी कृषि आराजियात जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया हैं में आवागमन करते हैं तथा उनके लगती हुई अपनी अन्य आराजियात मे आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन के रास्ते को राजस्व नक्से में लाल स्याही से डोटेड किया गया है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात में स्थित उस रास्ते से ही वर्षो से आवागमन कर अपने खमतो से फसल कास्त कर फसल लाभ लेते आ रहै तथा अपने ट्रेक्टर संज बैल गाड़ी आदि भी इसी रास्ते से जाते है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता विपक्षीगण की उपरोक्त आराजियात जिसे नक्से से लाल स्याही से डोटेड किया गया है वही है इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजियात आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही हैं। प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की कृषि आराजियात का विभाजन होने से प्रार्थीगण ने अपनी अन्य आराजियात व आगे अन्य लागों की आराजियात में आवागमन के लिये शामलाती रास्ता छोड़ा गया हैं जिससे प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी में स्थित रास्ते से होकर प्रार्थना पत्र में अकित आराजी में आवागमन कर अपनी अन्य आराजी में आवागमन करतें हैं प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यता का रास्ता हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन के उक्त रास्ते को विपक्षीगण जबरन बन्द करने पर आमादा हैं तथा आये दिन विपक्षीगण प्रार्थीगण के रास्ते में अवरोध डाल देते हैं तथा मना करने पर गाली गलौच व मारपीट करने की धमकी देते हैं तथा ऐन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को परेसान करने की नियत से रास्ते में पत्थर डाल देते है तथा जे.सी.बी. से खडडे कर देते है जिससे प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा हैं। उक्त खाता राजसव रिकार्ड में दर्ज नही होने से विपक्षीगण प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को बन्द करने पर आमादा हो रहे हैं तथा दिनांक 10.11.2016 को विपक्षीगण ने प्रार्थीगण का रास्ता बन्द करने की धमकी दी यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ता बन्द हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो मं फसल काश्त नहीं कर पायेंगे व प्रार्थीगण के परिवार भुखे मरने की स्थिति में आ जायेंगे। प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1070 की दक्षिणी पाली से होता हुआ आ.स. 1173 व 1164 की मध्य पाली से होता हुआ आ.स. 1161 की दक्षिणी पाली पर होकर जाता है जो मौके पर 15 फीट चौड़ा है जिससे राजस्व नक्शे में लाल स्याही से डोटेड अकिंत किया गया हैं जिससे स्थायी रूप से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित हो गया हैं। प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते से विपक्षीगण की जितनी भूमि आती हैं उतनी भूमि की कीमत प्रार्थीगण डी.एल.सी. दर से विपक्षीगण को अदा करने के लिये तैयार हैं। विपक्षी संख्या 12 विपक्षीगण के सिखावें में हैं तथा आराजी संख्या 1161 1164 1173 में उसका हिस्सा होने से अपने आगे स्थित आराजी में आराम से आवागमन कर लेता व विपक्षीगण उसे नही रोकते हैं परन्तु हम प्रार्थीगण के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते है जिससे मन्दरूप को विपक्षी बनाया हैं। तथा खातेदार उदा फोथ हो जाने से उसके जगह उसकी पुत्रवधु मेमा व घासी फौथ हो जाने से उसकी जगह उसकी पुत्री सोनी को विपक्षी बनाया गया हैं एव खातेदार केशु पिता उदा व केशु पिता मोडा एक

ही व्यक्ति होने से उन्हें विपक्षी संख्या 13 बनाया गया हैं। प्रार्थीगण को विपक्षीगण बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 10.11.2016 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनके खेतो में आवागमन के रास्ते को बन्द करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.11.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, व 3 लगायत 14 की और से अधिकार पत्र सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता का पेश किया जो शामिल फाईल किया गया विपक्षी संख्या 2 बावजुद सुचना के उपस्थित नही है अतः एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है इस पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर को 7 बिन्दुओ पर पेश करने हेतु लिखा गया विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश करने का अवसर चाहा गया तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2018 को प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली की गई विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 14 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया तथा खारिज जाने किये जाने हेतु निवेदन किया

प्रस्तुत तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मासिंगपुरा के जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के ख.न. 1612/1159, 1624/1073, 1604/1135, 1109/1151, 1611/1151, 1615/1152, 1616/1166, 1607/1151, 1613/1159, 1616/1073, 1622/1073, 1103, 1119, 1120 की मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजियात में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नही हैं उक्त आराजियात पर पूर्व सलग्न नक्से में नीली स्याही से दर्ज रास्ते होकर आवागमन होता था इस नीली स्याही से अकिंत रास्ते को वर्तमान में बन्द किया हुआ हैं मौके पर उक्म विवादित रास्ते के अलावा सलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अकित रास्ते से भी उक्त आराजियात में आवागमन होने की बात विपक्षीगण द्वारा बतायी गई है यह लाल स्याही से अकित रास्ता वर्तमान में बन्द हैं। वर्तमान में उक्त आराजियात में कही से भी होकर नही आया जा रहा हैं। उक्त खाते में प्रार्थीगण द्वारा वाछित रास्ते में किस आराजी का कितना रकबा आयेगा जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं।

क.स.	आ.न.	कुल रकबा	वाछिंत रकबा	नाम खातेदार
1	1161	0.45 हैक्ट.	68*4=172 Miter.	सलग्न जमाबन्दी अनुसार
2	1164	2.35 हैक्ट.	248*4=992 Miter	सलग्न जमाबन्दी अनुसार
3	1173	0.19 हैक्ट.	96*4=384 Miter	सलग्न जमाबन्दी अनुसार
योग			1548 Miter	

वर्तमान में जो रास्ता था उसे बन्द कर दिया गया। यह लाल स्याही से दर्ज हैं प्रार्थीगण खातेदार जो रास्ता चाहते है उसे नक्शे में हरी (ग्रीन) स्याही से दर्ज कर रखा हैं तथा यही सरल एवं सुगम रास्ता है। नक्शे में लाल स्याही से अकित रास्ता विपक्षीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ता बताया गया है जो काफि लम्बा होकर दुर पड़ता है तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही हैं।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा मामला रास्ते संबधित होने से तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे मैने यह पाया कि प्रार्थीगण की ख.न. 1612/1159, 1624/1073, 1604/1135, 1109/1151, 1611/1151, 1615/1152, 1616/1166, 1607/1151, 1613/1159, 1616/1073, 1622/1073, 1103, 1119, 1120 की मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजियात में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नही हैं उक्त आराजियात पर पूर्व सलग्न नक्से में नीली स्याही से दर्ज रास्ते होकर आवागमन होता था इस नीली स्याही से अकिंत रास्ते को वर्तमान में बन्द किया हुआ हैं आवागमन हेतु कोई रास्ता बना हुआ नही है तथा मौके पर रास्ता बन्द है प्रार्थीगण के बताये अनुसार विवादित रास्ता बन्द है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य अकोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में किधर से भी आया जाया नही जा रहा है अर्थात रास्ता पूर्णतया बन्द है तथा उक्त आराजियात में आवागमन के लिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 1161 में 172 वर्गमीटर` आराजी संख्या 1164 में 992 वर्गमीटर आराजी संख्या 1173 में 384 वर्गमीटर कुल 1548 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी संख्या ख.न. 1612/1159, 1624/1073, 1604/1135, 1109/1151, 1611/1151, 1615/1152, 1616/1166, 1607/1151, 1613/1159, 1616/1073, 1622/1073, 1103, 1119, 1120 में आवागमन करने हेतु तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्से एवं रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 1161 में 172 वर्गमीटर आराजी संख्या 1164 में 992

वर्गमीटर आराजी संख्या 1173 में 384 वर्गमीटर कुल 1548 वर्गमीटर भूमि में रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाकर किया जाकर प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम मासिंगपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आ.स. 1612/1159 आ.स. 1624/1073 आ.स. 1604/1135 तथा प्रार्थी सख्या 2 की आ.स. 1609/1151 आ.स. 1611/1151 आ.स. 1615/1152 आ.स. 1616/1166 एवं प्रार्थी 3 की आ.स. 1607/1151 आ.स. 1613/1159 आ.स. 1619/1073 आ.स. 1622/1073 और इसी तरह प्रार्थी संख्या 4 से लेकर 15 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1102 आ.स. 1119 आ.स. 1120 भूमिया में तहसीलदार रायपुर की प्रस्तावित रिपोर्ट व प्रस्तावित नक्से मे प्रस्तावित अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 1161 रकबा 0.45 है0 मे से 68*4 कुल 172 वर्गमीटर आराजी संख्या 1164 रकबा 2.35 में से 248*4 कुल 992 वर्गमीटर आराजी संख्या 1173 रकबा 0.19 है0 में से 96*4 कुल 384 वर्गमीटर कुल योग 1548 वर्गमीटर भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 48700 रू. प्रति बिघा होने से डीएलसी दर से दुगुनी राशि 69800 रू. का भुगतान विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर रास्ता बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा